1·6

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :— देघाट चित्रतोली मोटर मार्ग के किमी 9 से नागर कोटिया नामक स्थान से कोठा गाँव तक मोटर मार्ग

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम जैराल
तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में देघाट-चित्रतोली मोटर मार्ग के किमी 9 से कोठा गाँव तक परियोजना के निर्माण हेतु (———— हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल सोयम भूमि 0.018 हे0, वन पंचायत भूमि 0.477 हे0) अर्थात कुल 0.495 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जैराल द्वारा दिनांक 03/8/2014 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डौड़ियालतालन/कोठा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ [signature]
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत अधिकारी
वि0ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ह0/ [signature]
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत- जैराल
वि0ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र—23.1

दिनांक 03/8/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बेरगल

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मोहन राम	मोहन राम
2	प्रेम राम	प्रेमराम
3	बच्चीराम	बच्चीराम
4	सीता देवी	सीता देवी
5	लीला देवी	लीला देवी
6	भागा देवी	
7	रेबुली देवी	
8	शेर सिंह	शेरसिंह
9	बोलम सिंह	बोलम सिंह
10	राजाराम	राजाराम
11	शोभा देवी	शोभा देवी
12	मेहती देवी	
13	रेबुली देवी	
14	गणेशी देवी	
15	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
16	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
17	गोपाल राम	गोपाल राम
18	इन्द्रीराम	इन्द्रीराम
19	चन्द्रीराम	Chemi Ram
20	मेहरराम	मेहरराम

लीलाधर

भवानसिंह

हरसिंह

अमरसिंह

पार्वती देवी

नारायण

S. Rat

रणजीतसिंह

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
स्याल्दे (अल्मोड़ा)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 7 से जगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, स्याल्दे
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, स्याल्दे

उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत जगरकोटिया से कोठा मोटर (0.018 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.018 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.477 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.495 हे0 वन भूमि) का लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील स्याल्दे) की दिनांक 18-11-014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एन0एस0 नबियाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री N.S NABiYAL उपजिलाधिकारी ———— अध्यक्ष
2– श्री वी0के0 सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी ———— सदस्य
3– श्री देवीप्रसाद बिष्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी ———— सदस्य सचिव
4– श्री गिरीश कार्की बी0डी0सी0 क्षेत्र ———— सदस्य

उप जिलाधिकारी, भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

सहायक विकास अधिकारी (स0क0)
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

वि0ख0 स्याल्दे जिला अल्मोड़ा

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 7 से कोठा गाँव तक 0.495 मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु............हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत चमार कोठिया से कोठा परियोजना के निर्माण हेतु 0.995 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा

23.3

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. **परियोजना का नाम** :— देघाट—चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 9 से नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। (1.825 किमी.)

वन अधिकार अधिनियम—2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि0 01.12.2014 के अनुसार प्रमाण—पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित **देघाट—चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 9 से नगरकोटियानामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (1.825 किमी.)** के निर्माण हेतु0.495 है0 वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/— 04/12/14
जिलाधिकारी

Ameen Pramar Patra/Arvind

FORM-1

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector : Almora

No :...................................... Dated:...............

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that..0.495....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction..of Degrout-Chintoli motar Road to Nagar Hatya to village Hotla motar Road.. (Purpose for diversion of forest land) in..Almora....district falls within jurisdiction of..Hotha..village(s) in..Syalde....Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire..0.495..Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

[signature] 11-014 — Tehsildar — तहसीलदार स्याल्दे, जिला–अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

S.D.M. — उप जिलाधिकारी, भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

[signature] 04.12.14 — जिला अधिकारी — D.M. — अल्मोड़ा।

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

[signature] 27/11/2014

It is certified that – minutes of meeting for **Construction of** ......Nagarkotiya to katha gaon motor Road.. under Provincial Division, PWD, Ranikhet in the state of Uttarakhand regarding FRA is as Following :-

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire ..0.495..... *hec.* of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

मुख्य समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date 04-12-2014 at time 3.0 PM at Almora. in which application claiming rights of Forest land area measuring 0.495 hect. for the Construction of Deghat chintli m. Rkm g. to Nagarkotya tokbatha m/R of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to conside the same of admission by the district level committee.

After serutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

Signature 6.12.14

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि देघाट - चिन्तोली मोटर मार्ग के कि०मी० 13 के नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लाभान्वित होने वाले ग्राम नगरकोटिया, ग्राम - डौटियाल वारवल तथा कोठा एक ही ग्राम पंचायत - बरगल के अन्तर्गत आते हैं। ग्राम वासियों को अपनी नाप भूमि में प्रस्तावित होने वाली भूमि देने में कोई आपत्ति नहीं है तथा ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार के आदिवासी नही रहते है,

अतः महोदय मार्ग निर्माण यथा-शीघ्र कर लिया जाय।

धन्यवाद

M. Sharma
ग्राम प्रधान
ग्राम पचायत-बरगल
वि०ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि देघाट–चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 13.00 नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लाभान्वित होने वाले ग्राम तोक नगरकोटिया, तोक कोठा गांव, ग्राम तोक ढौडियाल बाखल तथा कोटा एक ही ग्राम पंचायत बरंगल के अन्तर्गत आते है। ग्रामवासियों को मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली अपनी नाप भूमि देने में कोई आपत्ति नहीं है तथा इन ग्राम पंचायत में कोई भी आदिवासी नहीं रहते है।

अतः ग्राम पंचायत की बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त मार्ग का निर्माण अतिशीघ्र कर लिया जाय।

धन्यवाद

समस्त ग्रामवासी

प्रेमराम
मोहनराम
पूरनसिंह
लीला देवी
उप्पुली देवी
खिमुली देवी
पुष्पा देवी
भगा देवी
कला देवी
बालम सिंह
बसन्ती देवी
चंपा देवी
सीमुली देवी
हीरा देवी
तुलसी देवी
शंकरदत्त
विमला देवी
सरुली देवी
हिमा देवी
दयानन्द

ग्राम प्रधान

सरपंच
वन पंचायत बरंगल
स्याल्दे (अल्मोड़ा)

सरपंच

सरपंच
वन पंचायत ढौडियाल बाखली
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम पंचायत अधिकारी

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड स्याल्दे
(अल्मोड़ा)

सहायक ... अधिकारी,

Ameen Pramar Patra ...